

विचार बिन्दु

काम से शोक उत्पन्न होता है। –धम्मपद

भारत में घास-भूमि संकटापन्न हैं

वैश्विक स्तर पर घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्र (जिनमें घास भूमियाँ, सवाना, झाड़ियाँ, वनों के बीच खुली भूमि तथा टुंड्रा क्षेत्र शामिल हैं) पृथ्वी की लगभग 30 से 40 प्रतिशत भूमि को आच्छादित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के शमन एवं अनुकूलन, पशुपालन तथा सांस्कृतिक सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। फिर भी, इनकी महत्ता के बावजूद, घासयुक्त पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को वनों की तुलना में विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत उपेक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में इनकी क्षय दर वनों की तुलना में अधिक रही है।

भारत और दक्षिण एशिया में घासभूमियों को पारंपरिक रूप से बेकार या बंजर भूमि समझा जाता है। इस त्रुटिपूर्ण धारणा के कारण घासभूमि पारितंत्रों को संरक्षण और महत्व नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि ऐसे क्षेत्र खंडित और विनष्ट हो रहे हैं। इनकी विशिष्ट जैव-विविधता तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका संकट में पड़ी है। लंबे समय तक नीति-निर्माताओं ने घासभूमियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं किया। प्रायः इन्हें बिगड़े वनों का हिस्सा या क्षरण-प्राप्त रूप मान लिया गया। परिणामस्वरूप, सुधार के नाम पर कई घास के मैदानों में वृक्षारोपण जैसे अनुचित हस्तक्षेप किए गए। हाल के विश्लेषण दर्शाते हैं कि वृक्ष आवरण बढ़ाने के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की मुहिम और घासभूमि प्रबंधन में कई सरकारी एजेंसियों की उलझन भरी भागीदारी ने इन पारितंत्रों को नुकसान पहुँचाया है, और सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों में व्याप्त वन-पक्षपात ने समस्या को और बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत में घासभूमियों के सफल संरक्षण व पुनर्स्थापन हेतु एक समन्वित राष्ट्रीय नीति-ढाँचे और ठोस पारितंत्र वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता है।

असल में घासभूमियाँ पारिस्थितिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये पारितंत्र अनेक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं और जैव विविधता का पोषण एवं संरक्षण करते हैं। कई घासभूमि क्षेत्रों में वनस्पति और जीवों की अनूठी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत-सी केवल इन्हीं आवासों तक सीमित (स्थानिक) हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ गोडावन प्रजाति पाई जाती है, जैसी घासभूमि में सैकड़ों पौधों की प्रजातियाँ पाई गई हैं। घासभूमियाँ अनेक विशिष्ट वन्यजीवों और वनस्पतियों को आश्रय देती हैं। इनके बने रहने से जल-संचय जैसी पारिस्थितिक सेवाएँ भी मिलती हैं। पश्चिमी घाट की पर्वतीय घासभूमियाँ जिन्हें शीला कहा जाता है, पर शोध से पता चला है कि यदि वहाँ फैल रहे विदेशी पेड़ों (जैसे यूकेलिप्टस, एकेशिया) को हटाकर मूल घास मैदान को बहाल किया जाए तो जलधारा प्रवाह बढ़ता है।

फिर भी, अपने बहुमूल्य महत्व के बावजूद भारत की घासभूमियाँ अनेक गम्भीर संकटों का सामना कर रही हैं। भूमि-उपयोग परिवर्तन इनमें सबसे प्रमुख है: विशाल घासभूमि क्षेत्रों को कृषि, वनीकरण या विकास परियोजनाओं हेतु परिवर्तित किया जा चुका है। पश्चिमी भारत के थारमरुस्थलीय क्षेत्र मो कई अहम घास के मैदान बड़ती मानव आबादी और विकास के दबाव के चलते खेतों में बदले जा चुके हैं। तराई-दुआर जैसे इलाकों में स्थिती और भी चिंताजनक है, जहाँ हिमालय की तलहटी की अधिकांश घासभूमि पहले ही कृषि और शहरीकरण की भेंट चढ़ चुकी है।जो थोड़े-बहुत घासस्थल बचे हैं, वे भी धीरे-धीरे झाड़ियाँ और वृक्ष पकपके से ढिंकड़ रहे हैं। भारत-नेपाल के संरक्षित तराई-दुआर क्षेत्रों में पिछले तीन दशकों में घासभूमि क्षेत्रफल में लगभग 34 प्रतिशत की कमी आई,जबकि चनो/झाड़ियों का आवरण 8-9 प्रतिशतबढ़ गया है। स्पष्ट है कि कई घासस्थलों में कांछीय वनस्पतियों का अतिक्रमण जारी है, जिससे खुले घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे हैं।

घासभूमियों पर दूसरा बड़ा संकट बाढरी आक्रमक प्रजातियों (इनवैसिवस्पीशीज) का फैलाव है। देश के विभिन्न भागों में कई अनावश्यक खरपतवार और लताएँ प्राकृतिक घासभूमियों में घुसपैठ कर रही हैं। असम के मानस तथा काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के घासस्थलों में क्रोमोलेनाऑडोराटा औरमिकेनियामाइक्रांथा जैसी आक्रमक प्रजातियाँ तेजी से फैलकर घास के स्थान पर घनी झाड़ियाँ बना रही हैं। ये अवॉछित पौधे हाथी, बैंगर, बारहसिंगा आदि बड़े शाकाहारी जीवों के लिए उपलब्ध चारा और आवरण को घटा देते हैं। एक सींग वाले गैंडे के मामले में शिकार रोकने पर तो ध्यान है, मगर घासभूमि में फैलती इन खरपतवारों पर नहीं। यदि यह स्थिति यँ ही जारी रही तो गैंडे समेत अन्य घासभूमि-निर्भर जीवों के लिए उपयुक्त भोजन और आवास लगातार घटते जाएँगे। पश्चिम भारत की सूखी चारागाह भूमि प्रप्रोसोपिसजूलीप्टोरा नामक कांटेदार विदेशी वृक्ष बड़ा संकट बन चुका है। गुजरात के कच्छ जिले की बनी घासभूमि में प्रोसोपिसजूलीप्टोरा के भारी प्रसार ने कई देशज पेड़-झाड़ियों को पीछे ढकेल दिया है। यहाँ तक कि औषधीय महत्व की दुर्लभ गुग्गुलु जैसी स्थानीय प्रजाति की संख्या इन झाड़ियों के बढ़ने से घट गई है। प्रोसोपिसजूलीप्टोरा के आक्रमण से घासभूमि की संरचना बदल जाती है – भले ही कुल प्रजाति संख्या में कुछ खरपतवारों की मौजूदगी से बड़ोतरी दिखे, पर महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियाँ और पौधािक धर्मों से कम हो जाती हैं। आक्रमक प्रजातियों का बेकाबू फैलाव घासभूमि पारितंत्र की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों घटा देता है।

अनिर्यातित चराई (अव्यधिक चरन) भी कई घासभूमियों के क्षरण का कारण है। हिमालय से लेकर मध्य व पश्चिम भारत तक अनेक चरागाह क्षेत्रों में अव्यधिक पशुपालन दबाव के चलते घास आवरण

जहाँ घासभूमि में झाड़ियों/वृक्षों का अतिक्रमण बढ़ रहा हो, वहीं नियंत्रित आग और नियोजित चराई जैसे हस्तक्षेप अपनाकर घासभूमि को खुले स्वरूप में बनाए रखा जा सकता है। अंत में, घासभूमि संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक समझ और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति - इन तीनों की आवश्यकता है।

बढ़ना थमता है। लेकिन आज कई अभयारण्यों में आग का संतुलन बिगड़ गया है: कहीं हर साल अनियंत्रित आग लगने से कुछ हिस्से बार-बार जलते हैं, तो कहीं आग पूरी तरह रोक देने से झाड़ियाँ बेरोकटोक फैल जाती हैं। तराई के अभयारण्यों में उपग्रह आंकड़ों से पता चला है कि पार्क के भीतर सड़कों के किनारे आग की घटनाएँ अंदरूनी हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं, जिससे वे घास के मैदान बारंबार जलकर क्षिण्टास्त हो रहे हैं। पश्चिमी घाट में भी आग-निषेध की नीति के फलस्वरूप कई घासभूमियाँ वनों में तब्दील हो गई हैं। इसलिए आग का न तो अतिप्रयोग हो और न ही पूरा निषेध – संतुलित अग्नि प्रबंधन घासभूमि के लिए आवश्यक है।

घासभूमि पारितंत्रों पर हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से इन प्रणालियों की जटिलता पर नई रोशनी पड़ रही है। एक नियंत्रित प्रयोग में शुष्क उष्णकटिबंधीय घासभूमि की कुल प्राथमिक उत्पादकता वर्षा बढ़ने पर बढ़ गई, पर यह वृद्धि मुख्यतः घास (फ्रीमॉन्ड) प्रजातियों से आई; चौड़ी पत्ती फ़ोर्ब प्रजातियों में ऐसा लाभ नहीं देखा गया। वास्तव में कुछ फ़ोर्ब प्रजातियाँ बहुत कम या बहुत अधिक वर्षा, दोनों परिस्थितियों में घट गई – जिससे संकेत मिलता है कि वर्षा पैटर्न में बढ़ बढ़कला इन संवेदनशील प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और घासभूमि की जैव-विविधता को बदल सकते हैं। घासभूमियों की उत्पादन क्षमता मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। पश्चिमी भारत की बनी घासभूमि में फॉस्फोरस की कमी को धास उत्पादन घटने का प्रमुख कारण पाया गया है; लेकिन नियंत्रित मध्यम चराई जैसे प्रबंधन से मिट्टी में पोषक चक्रण बढ़ाकर घासभूमि की उत्पादकता और स्थायित्व सुधारा जा सकता है। अंत में,घासभूमियों के पुनर्स्थापन से कार्बन भंडारण क्षमता भी बढ़ सकती है। एक अध्ययन के अनुसार अर्ध-शुष्क सवाना घासभूमियों में बहाली के केवल तीन वर्षों बाद मिट्टी के कार्बन भंडार बिना बहाली वाले स्थलों की तुलना में लगभग 3.5 प्रतिशत अधिक गए गए। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रभावी संरक्षण और बहाली से ये घासभूमियाँ प्राकृतिक कार्बन सिंककी तरह कार्य कर सकती हैं।

इन चुनौतियों को देखते हुए भारत में घासभूमियों की रक्षा, सतत प्रबंधन और पुनर्स्थापन के लिए बहुआयामी रणनीतियाँ अपनाना अत्यावश्यक है। सबसे पहले, नीति-निर्माण के स्तर पर घासभूमियों को उनका उचित स्थान देना होगा। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर घासभूमियों को एक अलग और महत्वपूर्ण पारितंत्र के रूप में मान्यता देकर उन्हें वेस्टलैंड या निम्न श्रेणी के दर्जे से बाहर नहीं निकाला जाता,तब तक इनके साथ होने वाला भेदभाव समाप्त नहीं होगा। एक समटा राष्ट्रीय घासभूमि नीति तथा स्पष्ट पारितंत्र-वर्गीकरण ढाँचे की आवश्यकता है, जिससे संरक्षण और प्रबंधन प्रयासों को सही दिशा मिल सके। स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत योजनाएँ बनानी होंगी। दक्षिण भारत की कंगयम घासभूमि इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ स्थानीय किसानों ने लगभग 150 वर्षों से घेराबंदी कर चराई को नियंत्रित करते हुए, अंतराल पर चारा फसलें उगाते हुए और जल-संचयन व सिंचाई का उपयोग करके इस शुष्क क्षेत्र की घासभूमि को सतत उत्पादक बनाए रखा है।सुनिश्चित भू-अधिकार और सामुदायिक सहयोग की बंदौलत यह चारागाह एक सदी से अधिक समय तक स्थिर बना रहा, जो दर्शाता है कि समुदाय-आधारित प्रबंधन घासभूमि संरक्षण में अत्यंत प्रभावी हो सकता है।

आक्रांत वनस्पतियों से प्रभावित घासभूमियों में उन्हें नियंत्रित करने और हटाने के विशेष उपाय ङरूरी हैं। कच्छ की बर्ना घासभूमि में प्रोसोपिसका प्रसार रोकने के लिए एक अध्ययन में यांत्रिक उन्मूलन (झाड़ियों को जड़ समेत हटाना) और आंशिक छंटाई (लॉपिंग) दो तरीकों का परीक्षण किया गया। परिणामों के अनुसार प्रोसोपिसको पूर्णतः हटाने पर घासभूमि की देशी वनस्पति आवरण और प्रजाति विविधता, नियंत्रण की तुलना में तीन से छह गुना तक बढ़ गई, जबकि केवल छंटाई से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालाँकि प्रोसोपिस का पूरी तरह उन्मूलन महंगा है और कुछ स्थानीय लोग ईंधन-चारे के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बहाली के दौरान कुछ भाग प्रोसोपिस युक्त छोड़ना और शेष को प्रोसोपिसमुक्त रखना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। राजस्थान के घासबंदी में भी प्रोसोपिस हटाना आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में सक्रिय खरपतवार नियंत्रण अपनाकर भी घासभूमियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, और इसके परिणाम अच्छे मिले हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क प्रबंधन तथा अन्य संगठनों ने मिलकर क्रोमोलेना जैसी खरपतवारों को काटकर –जलाकर अत्यावश्यक है। सबसे पहले, नीति-निर्माण और प्रजाति विविधता, नियंत्रण की तुलना में तीन से छह गुना तक बढ़ गई, जबकि केवल छंटाई से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालाँकि प्रोसोपिस का पूरी तरह उन्मूलन महंगा है और कुछ स्थानीय लोग ईंधन-चारे के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि बहाली के दौरान कुछ भाग प्रोसोपिस युक्त छोड़ना और शेष को प्रोसोपिसमुक्त रखना एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है। राजस्थान के घासबंदी में भी प्रोसोपिस हटाना आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में सक्रिय खरपतवार नियंत्रण अपनाकर भी घासभूमियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, और इसके परिणाम अच्छे मिले हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पार्क प्रबंधन तथा अन्य संगठनों ने मिलकर क्रोमोलेना जैसी खरपतवारों को काटकर –जलाकर अत्यावश्यक है। सबसे पहले, नीति-निर्माण और प्रजाति विविधता, नियंत्रण की तुलना में तीन से छह गुना तक बढ़ गई, जबकि केवल छंटाई से विशेष लाभ नहीं हुआ। हालाँकि प्रोसोपिस का पूरी तरह उन्मूलन महंगा है और कुछ स्थानीय लोग ईंधन-चारे के लिए उस पर निर्भर हैं, इसलिए विशेषज्ञों ने सुझे स्वरूप में बनाए रखा जा सकता है। अंत में, घासभूमि संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी,वैज्ञानिक समझ और शासन की दृढ़ इच्छाशक्ति - इन तीनों की आवश्यकता है। तभी हम सुनिश्चित कर पाएँगे कि ये मूल्यवान घासभूमि पारितंत्र भविष्य के लिए सुरक्षित रहें और बंजर भूमि समझकर की जाने वाली उपेक्षा से मुक्त हो सकें।

–अतिथि सम्पादक, डॉ. दीप नारायण पाण्डेय (भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर) (यह लेखक के निजी विचार हैं और ‘सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत’ से प्रेरित हैं)

चाकसू कस्बे के विभिन्न वार्डों में पेयजल समस्या के कारण लोग परेशान

लोगों के अनुसार हालात ये हो चुके हैं कि वार्ड के घरों में नहाने के पानी की तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी नहीं है

चाकसू, (निसं)। कस्बे के विभिन्न

वार्डों में पेयजल समस्या के कारण लोग परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने पानी की कमी के कारण होने वाली परेशानियों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है।

लोगों ने अधिकारियों एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जापन और मौखिक रूप से मामले को लेकर सैकड़ों बार अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालात ये हो चुके हैं कि वार्ड के सभी घरों में नहाने के पानी की तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। लोगों के अनुसार विभाग की ओर से कागजों में ही कार्य किया गया है। मामला नगर पालिका क्षेत्र के शितला माता इलाके के वार्ड नम्बर 34 एवं 35 का है। जब पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा एवं जलदाय विभाग जेईएन पेयजल समस्याओं के जायजे के लिए शीतला माता इलाके में पहुंचने पर वहां एकत्रित वार्ड वासियों ने पेयजल समस्याओं को लेकर आ रही परेशानियों की झड़ी लगा दी। मौजूद महिलाओं ने बताया कि 20-25 सालों से शीतला माता इलाके के लोग परेशान हैं। वर्षों पूर्व तत्कालीन विधायक प्रेमिला कुन्दारा के समय पेयजल सप्लाई के लिए पानी की टंकी का निर्माण हुआ था लेकिन टंकी निर्माण से अब तक वार्डवासियों को 10 से 15



जलदाय विभाग जेईएन व पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा को वार्ड वासियों ने पेयजल समस्याओं को लेकर आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी।

दिन बाद पानी सप्लाई मिल पाती है। वह भी तब मिलती है तब बार-बार जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाई जाती है। दोनों वार्डों में रगुलर सप्लाई के लिए कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराने के बावजूद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे पानी की कमी से लोग अपने रोजमर्रा के कामों को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।

वार्डवासियों को हेडपंपों एवं महंगी दरों से मिलने वाले पानी के टैकों के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा

है। वार्ड वासियों को विभाग के टैकों एवं 10-15 दिन में टंकी से मिलने वाली अपर्याप्त सप्लाई के कारण आए दिन झगड़ों का भी सामना करना पड़ता है। वार्डवासियों ने जलदाय विभाग एवं जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द समस्या समाधान की मांग की है। गोपाल गौतम एवं वार्ड वासियों के अनुसार जिस ठेकेदार के तहत टंकी का निर्माण हुआ है निर्माण से लेकर अब तक टंकी को विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है, जिसके चलते यहां लोगों को नल के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। ठेकेदार

और विभाग के बीच क्या मतभेद है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस पर मौके पर मौजूद पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा एवं जलदाय विभाग जेईएन दिलखुश मीणा ने वार्डवासियों को 10 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन दिया है।

जेईएन दिलखुश मीणा ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से यहां कनेक्शन स्वीकृति के निर्देश नहीं मिलने के चलते यहां अब तक लोगों को नल कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं,

श्रीमाधोपुर न्याय क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन



राष्ट्रीय लोक अदालत में 225 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

श्रीमाधोपुर, (निसं)। राष्ट्रीय विधिक

सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के तत्वाधान में शनिवार को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

गीता पाटक (एडीजे) अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर ने बताया कि श्रीमाधोपुर न्याय क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय लोक अदालत बैठों का गठन किया गया है, जिसमें बैच संख्या एक व दो श्रीमाधोपुर न्यायालय परिसर एवं बैच संख्या तीन खण्डेला न्यायालय परिसर में प्रातः दस से सायं पांच बजे तक प्रकरणों की सुनवाई की गयी, जिसमें श्रीमाधोपुर तालुका स्थित न्यायालयों में लंबित

■ **द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कई प्रकरणों का निपटारा किया**

राजीनामा योग्य सिविल, फौजदारी प्रकरणों, एम.ए.सी.टी.. पारिवारिक न्यायालय, घरेलू हिंसा, 138 एन.आई. एकट एवं प्री-लिटिगेशन (बैक/बीमा कम्पनियों एवं बीएसएनएल, एवीबीएनएल, अजमेर) आदि के कुल 5153 प्रकरण विहित किये गये, जिसमें कुल 225 प्रकरणों का निस्तारण एवं राशि 2 करोड़ 18 लाख 04 हजार 30 रुपए के अवांई पारित किये गया, जिनमें न्यायालयों में लंबित 128 प्रकरण एवं प्री-

लिटिगेशन के 97 प्रकरणों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम सेकिया गया। इसी क्रम में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीमाधोपुर में लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के चार प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिनमें 11 लाख 75 हजार रूपये के अवांई पारित किये गये एवं 18 पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया गया। इस मौके पर एसीजेएम क्रम संख्या-1 अनूप कुमार तथा सदस्य अधिवक्ता भारत भूषण सामोता एवं संजय कुमार शर्मा, विद्युत निगम, बैंक, वित्तीय संस्थानों आदि के अधिकारी व कर्मचारी तथा न्यायालय कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण तथा काफी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।

10 से कम छात्रों वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के जिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10 से कम छात्र हैं, इनको बंद करने की योजना सरकार ने बनाई थी। प्रदेश में ऐसे 600 से 800 स्कूल बंदए जा रहे थे लेकिन सरकार बैकफुट पर आई और स्कूल न बंद करने के साथ यहां प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई।

दूसरी ओर प्रवेश आगामी आदेशों तक स्थगित करने के मामले में भी शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। अब राज्य के सभी 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं 6 मई को जारी कुछ स्कूलों में

- माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किए**
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी**

प्रवेश के कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित करने के आर्डर को शिक्षा

निदेशक ने वापस ले लिया है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश

राशिफल रविवार 11 मई, 2025	
	
पंडित अनिल शर्मा	
वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2082, स्वाती नक्षत्र सोमवार प्रातः 6:17 तक, व्यतिपात योग सोमवार प्रातः 5:10 तक, गर करण प्रातः 6:46 तक, चन्द्रमा तुला राशि में संचार करेगा।	
ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-तुला, मंगल-कर्क, बुध-मेघ, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।	
आज रवियोग दिन 1:18 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 8:02 से आरम्भ होगी। आज हिश्रन्नमस्ता जयन्ती, श्रीनृसिंह जयन्ती, व्रत, व्यतिपात पुण्यं, मदर डे है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:25 से 9:04 तक, लाभ अमृत 9:04 से 12:23 तक, शुभ 2:02 से 3:42 तक।	
राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 5:45, सूर्यास्त 7:01	

मे़ष	सिंह	धनु
		
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है।	आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए/दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संचािवित ख़ौत से धन प्राप्त होगा। आज घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
वृष	कन्या	मकर
		
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे।	आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आज शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज कार्यो योजनासुसार बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना को क्रियान्वयन होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
मिथुन	तुला	कुंभ
		
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	अपने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज कार्य योजनासुसार बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना को क्रियान्वयन होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आज परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
कर्क	वृश्चिक	मीन
		
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।	अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्योंम व्यवधान सामने आ सकते हैं।अज्ञ बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों के लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

■ **वार्डवासियों को हेडपंपों एवं महंगी दरों से मिलने वाले पानी के टैकों के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है**

■ **वार्डवासियों ने जलदाय विभाग एवं जन प्रतिनिधियों से जल्द से जल्द समस्या समाधान की मांग की है**

जिसके चलते यहां लोगों को बिना बिलिंग के टैकों द्वारा एवं 10-15 दिन में विभाग की ओर से टंकी से पानी की सप्लाई दी जाती है। समस्या समाधान की कोशिश की जा रही है।

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. बनवारी लाल मीणा से बात करने पर बताया कि उपरोक्त मामला मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी कर लोगों को अति शीघ्र राहत दिलाई जाएगी।

नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश बैरवा ने बताया कि नल कनेक्शन की स्वीकृति नहीं मिलने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। पालिका की ओर से जल्द ही कनेक्शन लेने के लिए स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

बाल अधिकारिता विभाग ने कई बाल विवाह रुकवाए

कोटा, (निसं)। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग, चाईल्ड हेल्पलाइन, सृष्टि सेवा समिति

जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, लाड़पुरा तहसील की टीम एवं कोटा शहर व ग्रामीण पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को कार्रवाई करते हुए कई बच्चों के बाल विवाह को रुकवाया।

संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि चाईल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली थी की महावीर नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का विवाह का आयोजन होने वाला है, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और बालक के दस्तावेजों की जांच की गई तो बालक 21 वर्ष से कम पाया गया जिस पर टीम द्वारा उसके परिजनों को मंडाना थाना क्षेत्र से प्राप्त हुई थी जिस पर टीम मौके पर बच्चों के घर पहुंची जहां बालिका जांच के दौरान 18 वर्ष से अधिक की पाई गई, परंतु बालक, 21 वर्ष से कम आयु की आंका, जिस पर उपस्थित टीम ने बालक के परिजनों को मौके पर ही पाबंद किया। तीसरी सूचना गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी रामचंद्रपुरा में नाबालिग बच्चों की शादी की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर संयुक्त टीम बच्चों के घर पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच की गई जिसमें बालक और बालिका दोनों ही 18 वर्ष से कम आयु के पाए गए। इन परिस्थितियों में व बाल विवाह ना हो

■ **बाल विवाह रुकवाकर परिजनों को पाबंद किया गया**

जाए को मध्यनजर रखते हुए दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति की सदस्य हरप्रीत कौर के समक्ष पेश किया व दोनों बच्चों को आश्रय गृह में अस्थायी आश्रय दिलवाया गया है।

जिला प्रशासन की टीम ने सभी बच्चों के परिजनों को हिरादय दी 18 व 21 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को शादी करना गैरकानूनी है व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध है। अतः आप अपने बच्चों की शादी लड़के की 21 वर्ष की आयु पूरने करने वह लड़की की 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही करें।

बाल विवाह रुकवाने गई टीम में बाल अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा, संजय मेहरा, सृष्टि सेवा समिति से जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, चाईल्ड हेल्पलाइन काउंसलर महिमा पांचाल, सुपरवाइजर जयवीर खटना, श्रुति शर्मा, केस वर्कर बंटी सुमन, सौरभ मेहरा, लाड़पुरा तहसील से नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी, पटवारी शुभम अग्रवाल, पटवारी रिकू रईस, राजेश सैनी, कानूंगो राजेंद्र, महावीर नगर थाने से सहायक उपनिरीक्षक नरेंद्र सिंह, मंडाना थाने से हेड कांस्टेबल कमल सिंह, गुमानपुरा थाने से सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह उपस्थित रहे।

के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। यह आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के जरिए हो रहे हैं। अथवा अधिकतम पांच स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। प्रवेश के लिए अस्थायी ऑनलाइन आवेदन 15 जून तक कर सकेंगे। लांटर 17 जून को निकाली जाएगी।